सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग के 17 विंदु मेन्युअल

प्रस्तावनाः—

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :—
  संविधान के भाग 3 में नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है जिसके अनुछेच्द 19 (क) में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य तथा वाक् स्वातंत्र्य का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार अनुछेच्द 29 (क) नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक मामलों में यह स्पष्ट किया है कि सूचना प्राप्ति का अधिकार अपने आप में पारदर्शी एवं सक्षम शासन को चलाने के लिए आवश्यक और सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का ही अभिन्न अंग है तथा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है।

- सूचना का अधिकार का उद्देश्य :—
  नागरिकों द्वारा किसी भी लोक प्राधिकरण के स्वामित्व में मौजूद उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति जो स्वयं उनसे जुड़ी हो या प्रच्छा लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हो। यह सूचना का रिकार्ड,फाइले,रजिस्टर्स,आकडे,रेखाचित्र,नमूने इत्यादि किसी भी रूप में हो सकती हैं। अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग करके हम जान सकते है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मिलने वाली सेवाएं कौन—कौन सी है, उनका लाभ कैसे और कब उठाया जा सकता हैं, आदि।

- उपयोगिताः— सूचना का अधिकार पुस्तिका सभी आम नागरिकों /व्यक्तियों/ संस्थानों /अशासकीय संगठनों के लिए उपयोगी है क्योकि सभी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

- **सूचना एवं शुल्क के लिये संपर्क सूत्र—**
  सूचना प्राप्त करने के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास में श्री रवीन्द्र सिंह रधुवंशी—लोक सूचना अधिकारी एवं श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव— सहायक लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक— महिला एवं बाल विकास, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी— महिला एवं बाल विकास, प्रशिक्षण केंद्रों पर मुख्य निर्देशक प्रशिक्षण केंद्र, परियोजना स्तर पर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक तथा आंगनवाड़ी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क किया जा सकता है।
- सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में :—
  संचालनालय महिला एवं बाल विकास हेतु अपीलीय अधिकारी—श्रीमती राजपाल कौर, अपर संचालक, से संपर्क किया जा सकता है ।

विभाग अंतर्गत उपयोग किये जाने वाले प्रमुख शब्द–

- आईसीडीएस– एकीकृत बाल विकास सेवा योजना।
- ए.डब्ल्यू डब्ल्यू – आंगनवाडी कार्यकर्ता।
- एम.ए डब्ल्यू डब्ल्यू–उप आंगनवाडी कार्यकर्ता।
- .ए.डब्ल्यू एच –आंगनवाडी सहायिका
- ए.डब्ल्यू.सी – आंगनवाडी केंद्र।
- एम.डब्ल्यू.सी –उप आंगनवाडी केंद्र।
- एस.एन.पी –पूरक पोषण आहार।

विंदु क्रमांक 01 – संगठन की विशिष्टयॉ, कृत्य एवं कर्तव्य

1.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :–

संचालनालय महिला एवं बाल विकास के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

- प्रदेश की गर्भवती /धात्री महिलाओं तथा 0–6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण सेवायें प्रदान की जाती है।
- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना।

1.2 लोकप्राधिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग का मिशन/विजन :–

मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्व है और इसी संदर्भ में प्रदेश के मानव विकास प्रतिवेदन में जेन्डर विकास सूचकांक तथा बच्चों के शाला प्रवेश , शिक्षा आदि का समावेश किया जाता है ।

आजकल विकास की नवीनतम अवधारणा के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI विकास की गति दर्शाने वाले महत्वपूर्ण मानक हैं और विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के देशों की विकासीय स्थिति का मूल्यांकन भी इन्हीं सूचकांक के आधार पर करने लगे हैं । इन सूचकांकों में शिशु मृत्यु दर (IMR), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (Under Five Mortality Rate) मातृ मृत्यु दर (MMR), लाईफ एक्सपैक्टेन्सी एट बर्थ, साक्षरता दर, बच्चों का पोषण स्तर इत्यादि प्रमुख है। इन सूचकांको के अनुसार हमारे देश भारत और विशेष रूप से मध्यप्रदेश की स्थिति पिछड़े स्थानों के बीच आती थी। इन बातों को देखते हुए भविष्य के नागरिकों के सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये समेकित बाल विकास सेवा योजना की संकल्पना की गई । इस परियोजना को क्रियाविंत करने के साथ–साथ महिला बाल विकास की नई अवधारणा, जिसमें महिला कल्याण से उपर उठकर महिला सशक्तीकरण पर केन्द्रित योजनाओं को लागू करना निहित है, का क्रियान्वयन भी विभाग की जिम्मेदारी में शामिल हुआ है ।

1.3 लोक प्राधिकरण (महिला एवं बाल विकास विभाग) का संक्षिप्त इतिहास और उसके गठन का प्रसंगः–

मध्यप्रदेश में 15 अगस्त, 86 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्त योजनायें आदिम जाति कल्याण विभाग और पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से इस संचालनालय को हस्तान्तरित की गई । प्रारंभ में यह संचालनालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रहा तथा वर्ष 1988 में पृथक से महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। वर्ष 2012 में विभाग अन्तर्गत दो संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनलाय एवं महिला सशक्तिकरण संचालनलाय का गठन किया गया। वर्ष 2018 में पुनः दोनो संचालनालयों का एकीकरण कर महिला एवं बाल विकास का गठन किया गया।

1.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य कृत्य एवं संगठन की विशिष्टियाँ :–

- महिलाओं ओर बच्चों की जीवन रक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक विकास, के लिये योजनाएं चलाना तथा विभिन्न विकास विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- समेकित बाल विकास सेवा का संचालन।
- महिलाओं और बच्चों के लिये शासकीय संस्थाओं का संचालन, अशासकीय संस्थाओं को अनुदान प्रदान करना।
- महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम का संचालन।
- महिलाओं की सामाजिक समस्याओं के लिए राज्य महिला आयोग का संचालन।
- प्रदेश की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना उनकी सुरक्षा से संबंधित कानूनो की जानकारी देना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना उन्हें कुपोषण से बचाना ।
- प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण, अशिक्षा, अज्ञानता से मुक्त करना एवं स्वस्थ समाज की नींव डालना ।
- प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना ।

- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा कुपोषण से बचाना ।
- महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढाना ।
- प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागिण विकास से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना ताकि योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुच सकें ।

  महिलाओं की स्वायत्ता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुये उनकी आर्थित एवं सामाजिक स्थिति में निरन्तर सुधार लाने हेतु राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन का समन्वयक ।

  विभाग की विस्तृत जानकारी, आमजन (नागरिकों) हेतु विभाग की निम्न बेबसाईट्स पर उपलब्ध है–

http://www.mpwcd.nic.in,
http://www.mpwcdmis.gov.in
http://www.esanchaika.mp.gov.in

बिंदु क्रमांक–2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

पद नाम		
शक्तियॉ	प्रशासकीय	**1. प्रशासकीय विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग)** – प्रथम एवं व्दितीय श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित समस्त अधिकार। **2. आयुक्त महिला एवं बाल विकास** – द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं निलंबन के अधिकार । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित समस्त अधिकार **3. संभागीय आयुक्त** – प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की विभागीय जॉच तथा लघु शास्ती एवं निलंबन के अधिकार **4. कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास)** – सहायक ग्रेड–3 एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार,, अवकाश स्वीकृति के अधिकार। **5. संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास** – जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं अधीनस्त पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के अधिकारी एवं कर्मचारियों के शासन द्वारा निर्धारित सीमा तक। **6. जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी** – तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के शासन द्वारा निर्धारित सीमा तक के अवकाश स्वीकृति के अधिकार

बिंदु क्रमांक–3
निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और दायित्व –

| कर्तव्य | **1. आयुक्त** – एकीकृत बाल विकास सेवा (महिला एवं बाल विकास विभाग) के अंतर्गत संचालित समस्त कार्यक्रमों, योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं मूल्याकंन करना तथा योजनाओं की प्रगति की जानकारी भारत सरकार को भेजना, महिलाओं एवं बच्चो के विकास से संबंधित सूचकांकों के स्तर में सुधार के प्रयास करना। कार्यक्रमों एवं योजनाओं की शासन से प्रशासकीय अनुमति उपरांत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी करना।
2. संभागीय संयुक्त संचालक – विभाग की समस्त योजनाओं का संचालन करना विशेष कर एकीकृत बाल विकास सेवा योजना से संबंधित समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन और उसका मूल्याकंन सुनिश्चित करना, आई.सी.डी.एस. की सेवाओं की क्षेत्रीय स्तर तक की पहुंच के लिये अन्य विभागों से समन्वय करना। अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वयं के कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन वृद्धि स्वीकृति सहित अन्य आदेश जारी करना। संभाग आयुक्त के मार्गदर्शन में संभाग अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग करना।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा – विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण , प्रतिमाह का रोस्टर तैयारकर माह मे कम से कम दो परियोजनाओं का निरीक्षण, आगनवाड़ीयों का निरीक्षण, जिले में पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना, आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम की सांख्यिकी जानकारी तैयार कर मूल्याकंन करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के पदों की पूर्ति, आंगनवाड़ी के सेवाओं का लाभ सभी हितग्राहीयों को पहुँचाना निर्धारित प्रगति प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय तक पहुचाना , विभाग की योजनाओं के संचालन हेतु अन्य विभागों से समन्वय आदि।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी – आई.सी.डी.एस. की प्रमुख कार्यकारणी के रूप मे क्षेत्रीय स्तर पर विभाग की समस्त योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, आंगनवाड़ी केन्द्र की गतिविधियां सुनिश्चित करना, परियोजना मे सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करना, रिकार्ड का उचित रखरखाव, सभी केन्द्रों में पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर आई.सी.डी.एस.की सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कराना, सेवाओं के क्रियान्वयन में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना, वरिष्ठ कार्यालयों को प्रगति प्रतिवेदन भेजना |

अराजपत्रित

पद नाम	सहायक परियोजना अधिकारी / सहायक साख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकीय अन्वेषक) / पर्यवेक्षक / अधीक्षक / सहायक वर्ग–1 / सहायकवर्ग–2 / सहायक वर्ग–3 / वाहन चालक / भृत्य / चौकीदार
कर्तव्य	**1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकीय अन्वेषक)** – द्वारा परियोजना की क्षे़त्रीय जानकारी,लक्ष्य उपलब्धी की रिर्पोटिंग एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन कर प्रेषित करना आदि। **2. सहायक परियोजना अधिकारियों** – परियोजना अधिकारी के अधीनस्त उनके द्वारा किये जा रहे समस्त कार्यो में सहायोग प्रदान करते है जैसे निरीक्षण / पर्यवेक्षण एवं विभिन्न बैठको एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदनों संबंधित जानकारी का संकलन एवं जांच कर प्रेषित करवाना आदि **3.पर्यवेक्षक**– आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण / मानदेय का भुगतान कराना टीकाकरण,स्वास्थ्य जांच आदि की जानकारी प्रस्तुत करना एवं मासिक प्रगति रिपार्टे तयैार कर प्रस्ततु करना,स्वास्थ्य विभाग से समन्वय एवं जिला स्तर पर आयोजित जिला अधिकारी के निर्देशानुसार बैठको में भाग लेना आदि । **4. अधीक्षक / सहायक ग्रेड–1,2,3** – जिला अधिकारी के निर्देशानुसार लिपिकीय कार्य का संपादन एवं अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौपे गये अन्य कार्यो को करना । **5. वाहन चालक** – जिला अधिकारी को आवंटित वाहन को निर्देशानुसार सचांलन करना आदि । **6. भृत्य / चौकीदार** – अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यालयीन कार्य सुचारू रूप से संपन्न करना ।

बिंदु कमांक–4
अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान–

अभिलेख का नाम – अभिलेख का प्रकार

राजपत्रित भर्ती नियम 2011 एवं समय समय पर संशोधित भर्ती नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

विभाग के राजपत्रित पदों यथा बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी, सहायक संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी / उप संचालक, संयुक्त संचालक एवं अपर संचालक के पदों पर पद पूर्ति हेतु पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती के प्रावधानों के बारे मे इन भर्ती नियमों मे उल्लेख है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते है ?

पता : संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, 28, अरेरा हिल्स, वात्सल्य भवन भोपाल

दूरभाषः 0755–2550909

फैक्स 0755–2550912

ईमेल commwcd@.nic.in

अन्य 0755–2550910

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क शासन द्वारा निर्धारित (यदि कोई हो) इसके अतिरिक्त म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, म.प्र. संशोधित पेंशन उप नियम–59 के उप नियम (1) तहत कार्यवाही करना। इन नियमों की प्रतियां सभी परियोजना कार्यालय एवं जिला कार्यालयों तथा संचालनालय में उपलब्ध हैं।

अराजपत्रित

अभिलेख का नाम – मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यपालिक एवं अकार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम–2015

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय–सहायक परियोजना अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकीय अन्वेषक)/पर्यवेक्षक एवं लिपिक वर्गीय संवर्ग आदि के भरती नियम एवं समय समय पर निकाले गये संशोधन नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकतही है।

पता :–

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

दूरभाषः– 0755–2550909

फैक्सः– 0755 –2550912

इ.मेलः– commwcd@.nic.in

अन्यः– 2550910

विन्दु क्रमांक–5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखः

विन्दु क्रमांक 04 में उल्लेखित

बिंदु क्रमांकः–6
लोक प्राधिकारी के पास उनके नियंत्रण मे उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण

क्र संख्या	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रकिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1.	नियम	पेंशन संबंधी नियम (पृष्ठ 32–33)	निर्धारित प्रकिया अनुसार	कार्यालय प्रमुख स्तर के अधिकारी
2.	नियम	अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकार (पृष्ठ क्रमांक 31)	निर्धारित प्रकिया अनुसार	कार्यालय प्रमुख स्तर के अधिकारी

टीप :– अधिकारी/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति संशोधित पेंशन नियम 59 के उप नियम(1) के अनुसार सेवा निवृत्ति की तारीख से 03 माह पूर्व कार्यालय प्रमुख प्रारूप 6 (क) तथा 6 (ख) में पेंशन पत्रों को तैयार करने का वास्तविक कार्य करेगा तथा सेवा निवृत्ति के 6 माह पूर्व अपेक्षित सेवा अभिलेख के साथ पेंशन प्राधिकृत करने वाले कार्यालय को भेजेगा।

बिंदु क्रमांक–7
नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु–

- लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी की परामर्श भागीदारी को काई प्रावधान नही है।

नीति के कार्यान्वयन हेतु

- लोक प्राधिकारण द्वारा नीति कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी से/की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान नही है।

विंदु क्रमांक–8
बोर्ड,परिषदों,समितियों एवं अन्य निकायो विवरण
लोक प्राधिकरण से संबंद्ध बोर्ड,परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का सक्षिप्त विवरणः–

8.1 **संस्था का नाम एवं पता–मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम खण्ड 2 चतुर्थ तल, पर्यावास भवन, भोपाल।**

वेवसाइड www.mp-mvvn.com

phone 0755-2769622, 2765501 fax no-0755-2577122

8.2 **संस्था का नाम एवं पता– मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग– श्यामला हिल्स भोपाल**

संस्था का सक्षिप्त परिचय – मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च, 1998 को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा–3 के तहत् किया गया।

अध्यक्ष– श्रीमती लता वानखेड़े

सदस्य सचिव – श्री अक्षय श्रीवास्तव

विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट http://www.esanchayika.mp.gov.in पर प्रशासकीय प्रतिवेदन में उपलब्ध है।

8.3 **संस्था का नाम एवं पता– मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 59 नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल**

बच्चों के अधिकारों के सरंक्षण के लिए मध्यप्रदेश शासन, द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है ।

विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट http://www.cpcr.mp.gov.in पर उपलब्ध है

बिंदु क्रमांक –9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

लोक सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम–संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, म0प्र0

लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री रवीन्द्र सिंह रधुवंशी	संयुक्त संचालक	0755	2550928	9425392553	255–0912	commwcd@.nic.in	संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव	उप संचालक	0755	–	9893900890	255–0912	commwcd@.nic.in	संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

विभागीय अपीलेट अथोरिटी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीमती राजपाल कौर	अपर संचालक	0755	255–0940	9425442601	255–0912	commwcd@.nic.in	संचालनालय, महिला एवं बाल विकास 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु लोक सूचना अधिकारी की व्यवस्था

म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ज्ञाप क्रं–1(ए)32/2014/50–1 भोपाल दिनांक 16.09.2014 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है :–

क्रं	कार्यालय का स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	संभाग स्तर	संभागीय संयुक्त संचालक	सहायक संचालक, संभागीय कार्यालय	संभागीय आयुक्त/अपर आयुक्त (राजस्व)
2	जिला स्तर	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सहायक संचालक, जिला कार्यालय	जिला कलेक्टर
3	जिला स्तर (ऑगनवाडी प्रशिक्षण केंद्र)	मुख्य निर्देशिका प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय सहायक (लिपिक)	जिला कार्यक्रम अधिकारी
4	विकास खण्ड/परियोजना स्तर	परियोजना अधिकारी	सांख्यिकीय अन्वेषक/कार्यालय सहायक (लिपिक)	जिला कार्यक्रम अधिकारी

संचालनालय महिला एवं बाल विकास				
नम	पीबीएक्स	कार्या.	निवास	पता
डॉ. अशोक कुमार भार्गव, आयुक्त	100	2550909 2550910	9425427525	आईएएस गेस्ट हाउस,
श्रीमती राजपाल कौर अपर संचालक	125	2550940	9425442601	
श्री आर.पी. रमनवाल, अपर संचालक	106	2577745	9425186818	
श्रीमती सीमा ठाकुर, अपर संचालक			9425448090	
श्री सुनील सिंह, अपर संचालक			9425150108	
श्री रविन्द्र सिंह रघुवंशी, संयुक्त संचालक	159	2550928	9425392553	
श्री आर.पी.सिंह संयुक्त संचालक	107	2550922	9425014384	एचआईजी–3/135, बागमुगालिया
श्री महेन्द्र द्विवेदी, संयुक्त संचालक	160	2550918	9479466936	ई.एन. 2/7,चार इमली

श्रीमती नकी जहॉ कुरेशी, संयुक्त संचालक	147		9425083175	
श्री संजय सिसोदिया, संयुक्त संचालक	148	2550924	9424534161	ई–8/28 चार इमली, भोपाल
श्रीमती उषा सिंह सोलंकी, संयु.संचा,			9425184993	
श्रीमती तृप्ती त्रिपाठी, संयु. संचालक			9425394800	
श्री सुरेश तोमर, संयुक्त संचालक			9425361824	
श्री राजकुमार त्रिपाठी, वित्त सलाहकार	126	2550916	9425120587	
श्रीमती शिवकली वरबड़े, उप संचालक	157		9826962741	
श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, उप संचालक	103	2550940	9893900890	
श्री अखिलेश जैन, उप संचालक	176		9425051653	
श्रीमती रचना बुधोलिया, उप संचालक			8878811711	
श्री हरीश खरे, उप संचालक			9425614440	
श्री दीपक संकत, उप संचालक	180		9425004777	
श्री योगेंद्र यादव उप संचालक			9425438991	
श्री जी.एस. रघुवंशी, सहा. संचालक	109		9425003592	13, गायत्री परिसर,श्रीराम कालोनी, होशंगाबाद रोड, भोपाल
श्री सत्शुभ्र मिश्र, सहायक संचालक	108		9425006832	
श्री राजेश अग्रवाल, सहायक संचालक	110		9425183662	
श्री संतोष सिंह, सहायक संचालक	162		9424669045	
श्री आलोक श्रीवास्तव, सहा. संचा.			9425451641	
श्री विकास गुप्ता, सहा.संचा.			9826754675	

श्री प्रभात ठाकुर,सहा.संचा.			7879591964	
श्री राजीव खरे, सहा.संचा.			9425824583	
श्री अनुराग जोशी, सहा.संचा.			9425739491	
श्रीमती शुभागी मजूमदार			9893018379	
श्री अखिलेश चतुर्वेदी, सहा. संचा.			8602261675	
श्रीमती यज्ञा राय, सहा.संचा.			8305127766	
श्री आशीष सिंह, सहा.संचा.			9425029845	
श्रीमती शिल्पा वर्मा, प्र. सहायक संचालक			9669001121	
श्री एच.के. माथुर, प्र. सहा. संचालक	163	—	9893764423	
श्री अभय अग्निहोत्री, प्र. सहा. संचा.	128		9407554265	एलआईजी 65 हर्षवर्धन नगर,भोपाल
श्री सुबोध गर्ग, सहायक संचालक	161		9407063877	
श्री पीयूष मेहता, प्र. सहा. संचालक	116		9926535387	
श्री आनंद शिवहरे, स.सं.	130	—	9425141509	
श्री सोएब खान, लेखा अधिकारी	166		9893640195	
श्री एन.पी.जोशी, लेखाधिकारी,एलएलवाई			9826304892	
श्री राजीव श्रीधर जोशी, लेखाधिकारी,एबीएम			9752534592	
श्री मनोज झारिया	163		9926536728	
श्रीमती सपना सोमानी, परि. अधि.			9425075115	
श्री मुकेश यादव, परि.अधि.			9981217927	
श्री एस. के. श्रीवास्तव ओ.एस.डी, (सहायक संचालक)	101	2550909	9893141779	
श्रीमती ममता शुक्ला निज सहायक	190		9425648140	

विंदु क्रमांक–10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक प्रारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

संचालनालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान उनके मूल वेतन + ग्रेड पे पर शासन द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ते की गणना के आधार पर किया जाता है। अधिकारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि प्रतिवर्ष जुलाई माह में स्वीकृत की जाती है।

बिंदु क्रमांक–11

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

वित्तीय वर्ष 2017–18 में संचालनालय महिला एवं बाल विकास अंतर्गत योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी (1.4.17 से 31.3.18)

(राशि लाखों में)

योजना कोड	योजना का नाम	Year 2017-18	
		Provision	Expenditure
9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	124856.01	113339.44
1291	आई.सी.डी.एस के सुदृढ़ीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ईस्निप)	7208.72	6464.46
6392	राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	15881.00	14160.00
5643	आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	33928.00	29657.21
5094	मंगल दिवस	2496.00	2168.40
0683	लालिमा अभियान योजना	152.22	130.89
658	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	108682.89	92061.50
9041	महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय	1081.62	830.27
5508	महिला बाल विकास के भवनों का रख–रखाव	300.00	217.82
0851	राजीव गांधी राष्ट्रीय झूलाघर योजना	172.03	114.60
6917	इंन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई)	15492.12	8747.88
1405	उदिता परियोजना	400.00	212.63
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	342.50	173.99
5360	आंगनवाडी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (राज्य आयोजना)	9000.00	3650.11
6442	अटल बाल आरोग्य मिशन	5135.00	1991.31
5360	आंगनवाडी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	0.01	0.00
7736	पन्ना धाय डे–केयर योजना	0.01	0.00
7737	किशोरी बालिका समग्र स्वच्छता अभियान योजना	0.01	0.00
7739	रानी दुर्गावती विशेष पोषण योजना	0.01	0.00
9248	किशोरी शक्ति योजना	330.00	0.00

2041	टंट्या भील स्कूल यूनिफार्म योजना	0.01	0.00
2042	आंगनवाडी केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं सुदृढ़ीकरण	0.01	0.00
7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00
	महायोग	**325458.18**	**273920.51**

योजनाओं के बजट की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट http://www.esanchayika.mp.gov.in पर प्रशासकीय प्रतिवेदन में उपलब्ध है

अध्याय–12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति सूचना के अधिकार अंतर्गत विभाग से संबंधित जानकारी

1. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 महिलाओ को कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीडन से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम अन्तर्गत समस्त नियोक्ता (शासकीय/आशासकीय) अथवा कार्य स्थल के प्रभार(सार्वजनिक/निजि/गैरसरकारी) का कर्तव्य है कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम करे तथा इस बारे में सभी अपेक्षित कदम उठा कर यौन उत्पीड़न के कृत्यों से जुडी समस्याओं का समाधान करे।

लैंगिक उत्पीड़न क्या है ? :–

- शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं या
- लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना या
- लैंगिक आभास वाली टिप्पणियां करना या
- अश्लील साहित्य दिखाना या
- लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय, शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना।

लैगिंक उत्पीड़न से संबंधित अन्य कृत्य :–

- अहितकारी व्यवहार, या धमकी या वर्तमान या भावी नियोजित को प्रभावित करने वाली स्थिति या कार्य में हस्तक्षेप या आपराधिक कृत्य या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण का सृजन करना या स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपमान जनक आचरण करना भी लैगिंक उत्पीड़न माना जायेगा ।

कार्यस्थल क्या है ? :–

विभाग, शासकीय/अशासकीय संगठन, उपक्रम, उद्यम, उद्योग, बैंक, कारखाना, दुकान, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, सरकारी कंपनी, सोसायटी, अस्पताल नर्सिंग होम, उत्पादन, प्रदाय, विपणन केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, कार्य के संबंध में यात्रा के दौरान, गृह (घरेलू कामकाजी महिला) निर्माण स्थल आदि।

कहां करें शिकायत ? :–

1. अपने कार्यालय (शासकीय/अशासकीय) में गठित आंतरिक परिवाद समिति।
2. जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला– पंचायत।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी
5. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी।
6. विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी।

आंतरिक परिवाद समिति :–

1. पीठासीन अधिकारी :–कार्यस्थल पर नियोजित वरिष्ठ महिला कार्यस्थल पर वरिष्ठ महिला न होने पर उस कार्यस्थल की अन्य यूनिट या अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से भी नामांकित किया जा सकता है ।
2. **सदस्यः–** कम से कम अन्य 2 व्यक्ति जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्व है या समाज सुधार का अनुभव या विधिक का ज्ञान ।
3. अशासकीय सदस्यः– 01 गैर सरकारी संगठनों में जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्व या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैगिंक उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित हो । समिति के कुल सदस्यों में आधी महिला सदस्य होगी ।

स्थानीय परिवाद समिति :–

जिस कार्य स्थल पर 10 से कम कर्मचारी/अधिकारी/कर्मकार नियोजित होने पर या घरेलू कामकाजी महिला या शिकायत नियोजक के खिलाफ होने पर प्रत्येक जिले में गठित स्थानीय परिवाद समिति को शिकायत की जायेगी। स्थानीय परिवाद समिति में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी पदेन सदस्य है ।

कानून के प्रमुख प्रावधान

- प्रत्येक कार्यस्थल पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी/अधिकारी नियोजित होने पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना । गठित नहीं करने पर शास्ति का प्रावधान है।
- पीडिता या अन्य द्वारा घटना की तारीख के 3 माह के अंदर समिति को शिकायत करना होगी।
- 90 दिवस में जांच पूरी की जाकर समिति की अनुशंसा पर 60 दिवस में नियोजक द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
- जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला के अनुरोध पर समिति की सिफारिश पर स्थानांतरण या छुट्टी या अन्य राहत प्रदाय की जायेंगी।
- परिवाद की विषय वस्तु, जांच एवं कार्यवाही का प्रकाशन या सार्वजनिक करना प्रतिषेध है। सार्वजनिक करने पर शास्ति का प्रावधान है।
- सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत सूचना नहीं दी जा सकती है ।
- मिथ्या या द्वेषपूर्ण शिकायत, मिथ्या साक्ष्य, गवाह के लिए दण्ड के प्रावधान है।
- प्रत्येक जिले में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उपलब्धियां–

1. **जिला अधिकारी–**सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2014 द्वारा म. प्र. के समस्त अपर कलेक्टर (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को पदेन जिला अधिकारी अधिसूचित किया जा चुका है।
2. **आन्तरिक परिवाद समिति–** अधिनियम के पालन में मध्य प्रदेश के समस्त 51 जिलों में आन्तरिक परिवाद समिति का शासकीय कार्यालायों में गठन किया जा चुका है। तथा अशासकीय कार्यालयों में गठन की कार्यवाही जारी है।
3. **स्थानीय परिवाद समिति–**कुल 51 जिलों में स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जा चुका हैं।
4. **प्रचार–प्रसार–**अधिनियम के अधिनियम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

2. राज्य शासन की अनुदान योजनाएं :–

महिला वसति गृह –

अपने गृह नगर से बाहर व्यवसाय या नौकरी करने वाली महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला वसति गृह स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में जिला इन्दौर में एवं भोपाल में वसति गृह संचालित है।

राज्य स्तरीय पुरस्कारः–

राज्य शासन महिला बाल विकास द्वारा व्यक्तिगत/संस्थागत/ महिला को प्रोत्साहित करने हेतु समाज सेवा ,वीरता ,साहस के कार्य करने पर निम्नलिखित 05 राज्य स्तरीय पुरस्कार स्थापित किये गये हैः–

क्र.	वर्ग	विवरण	पुरस्कार
1.	रानी अंवतिबाई वीरता पुरस्कार	महिला (वीरता हेतु)	राशि रू. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र
2.	राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार	महिला (समाज सेवा)	राशि रू. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र
3.	विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार	संस्था/व्यक्ति (समाज सेवा)	राशि रू. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र
4.	मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार	पुरूष/महिला (नारी सम्मान की रक्षा हेतु)	राज्य स्तर पर 1.00 लाख जिला स्तर 50हजार, प्रशस्तिपत्र
5.	अरूणा शानबाग साहस पुरस्कार	महिला (महिला हिंसा के विरूद्व वीरता पुरस्कार)	राशि रू. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र
6.	राष्ट्रमाता पद्ममावती पुरस्कार	महिला (महिलाओं के सम्मान हेतु उल्लेखनीय कार्य हेतु पुरस्कार)	राशि रू. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र

स्वाधार आश्रयगृह योजना

कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली महिलाओं को आश्रय ,पोषण ,वस्त्र स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहायता व अन्य आवश्यक सुविधाऍ, उपलब्ध कराते हुए उनके पुर्नवास की व्यवस्था हेतु भारत सरकार म.बा.वि द्वारा **स्वाधार गृह स्कीम** संचालित की जा रही है। इस योजना में निराश्रित, विधवायें, जेल से छूटी हुई महिला, कैदी प्राकृतिक विपदाओं, से निराश्रित हुई महिलाऐं अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाऐं ,हिंसा से पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाऐं आदि आश्रयगृह में आवास सुविधा सहित पोषण एवं पुर्नवास का लाभ पाती हैं। इस योजना में जमीन, भवन निर्माण/किराया राशि गृह की व्यवस्था,परामर्श सेवा ,पुर्नवास हेतु आर्थिक गतिविधि एवं प्रशिक्षण के लिए राशि दिए जाने का प्रावधान है।

1. 16 जिलों में 17 स्वाधारगृह संचालित है। सूची संलग्न है।

मध्य प्रदेश में संचालित कुल 17 स्वाधार गृहों की जानकारी

क्र.	ज़ला	संस्था का नाम	मोबाईल न.	ई–मेल पता
	ज्जैन	ह्यूमेन वेलफेयर सोसायटी 15, घटकपर मार्ग फ्रीगंज, उज्जैन	9926393777	human welfareujjain@ gmail .com
2	वा	निवेदिता कल्याण समिति निराला नगर रीवा	9893881618	nivedita kalyansamiti@yahoo.com
3	लपुर	परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस लाईन, जबलपुर	9425152003	anshumanshukla52003@gmail.com
4	तूल	ग्राम भारती महिला मंडल शोभापुर कालोनी,पाथाखेड़ा बैतूल	9926384220	gb.india@mail.com
5	ंदवाड़ा	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ बेलगांव हनुमान मंदिर के पास।	9425785141	bajsssausar@gmail.com
6	जगढ़	गोपाल महिला मंडल खुजनेर रोड मंडी के सामने,राजगढ़	9009543195	gmmjrajgrah@gmail.com
7	डला	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ महिला अल्पावास गृह,जीवाजी वार्ड महाराजपुर, मंडला	9926073898	bajssmandla@gmail.com
8	ालियर	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ एस.ए.एफ रोड कम्पू लश्कर ग्वालियर	9826429113	akhilbhartiyagwl@gmail.com
9	तरपुर	अशा. संस्था महिला समिति जिला – छतरपुर	9425304836	msneed9@yahoo.co.in
0	भोपाल	चेरिटेबल वेलफेयर सोसायटी फॉर हयुमेन काईन्ड एंड एनीमल लाला लाजपतराय सोसायटी ई–7 अरेरा कालोनी भोपाल	9406543115	neelamkaur10@gmail.com.
1	भोपाल	अशा. संस्था अनुसूचित जाति विकास एवं कल्याण समिति वार्ड 6 शाहजानाबाद रोड	9425681385	mapscastdews@gmail.com

		भोपाल		
2	खंडवा	अशा.संस्था सोसायटी फॉर एजूकेशन एंड एन्वायरमेन्टल डेव्हलपमेन्ट (सीड) मॉ महिला आश्रयगृह खंडवा	9425927880	seed.india2003@gmail.com
3	होशंगाबाद	संस्था महादेव सुदंरम जन कल्याण शिक्षण समिति होशंगाबाद	9074125880	manish.itarsi@gmail.com
14	मुरैना	अशा. स्वयं सेवी संस्था महात्मा शिक्षा प्रसार समिति संतर न.5 सबलगढ़ जिला मुरैना	9425738935	mspssbl@gmail.com
5	धार	रेडक्रॉस सोसायटी जिला धार	07292–222249	----------
16	छतरपुर	अशा.निर्वाण फाउण्डेशन पृथ्वी भवन सिविल लाईन, नरसिंहगढ़ जिला छतरपुर	9165466466	info@nirvanafoundation.org
7	बालाघाट	अशा. संस्था प्रकृति महिला विकास केन्द्र जिला बालाघाट	8878821009	prakriti_bgtmp@rediffmail.com

राजकीय महिला उद्धार गृह (इन्दौर)

उद्देश्य :	वैश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं को अन्य स्वरोजगार मूलक काम धंधो में लगाकर समाज में पुर्नप्रतिष्ठित करना ।
योजना का स्वरूप : और कार्यक्षेत्र	प्रिवेशन आफ इम्मारल ट्रेफिक एक्ट के तहत पकड़ी गई महिलाओं को न्यायालय के आदेश से इस गृह में भर्ती किया जाता है। उन्हें निःशुल्क परिपालन, शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। नर्स का प्रशिक्षण देकर, रोजगार स्थापित कराकर, नौकरी दिलाकर और विवाह कराकर सहायता की जाती है। महिला उद्धार गृह इन्दौर में संचालित है। महिला उद्धार गृह में अधिक से अधिक 50 महिलाएं निवास कर सकती है।
पात्र हितग्राही और चयन प्रक्रिया :	प्रिवेशन आफ इम्मारल ट्रेफिक एक्ट में वैश्यावृत्ति करते हुए पकड़ी गई महिलाएं ही हितग्राही होती है।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया :	महिला बाल विकास विभाग निर्देशानुसार राजकीय महिला उद्धार गृह अधीक्षिका के माध्यम से कलेक्टर परामर्शदात्री समिति केसलाह अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया जाता है ।
संपर्क :	जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी एवं अधीक्षिका

उषा किरण योजना

'' घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006'' के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही थी। जिसके अंतर्गत शासन द्वारा घरेलू हिंसा दर्ज किये जाने हेतु 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी/ब्लाक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षक) नियुक्त किये गये है।

वन स्टॉप सेन्टर (सखी) योजना

सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल आपातकालीन एवं गैर–आपातकालीन सुविधायें जैसे– अस्थायी आश्रय, पुलिस –डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा, विधिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श आदि सुविधायें भारत सरकार द्वारा सहायित शासकीय वन स्टॉप सेन्टर में उपलब्ध करवायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, देवास, उज्जैन, खण्डवा, रतलाम, बुरहानपुर, भोपाल, सागर, जबलपुर, कटनी, सिंगरौली, छिंदवाडा, मुरैना, शहडोल एवं होशंगाबाद में सेन्टर प्रारम्भ किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जिला धार, पन्ना, दतिया, खरगौन, शिवपुरी, सिवनी एवं विदिशा में वन स्टॉप सेन्टर प्रारम्भ किये गये है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में शेष जिलों में वन स्टॉप सेन्टर प्रारम्भ करवाये गये हैं। इस तरह राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सेन्टर स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं।

One Stop Centre की जानकारी

क्रं	जिले का नाम	पता	वर्तमान में प्रशासक के प्रभार में	प्रशासक का मो. नम्बर
1	खण्डवा	मॉ महिला आश्रयगृह, गणेश तलाई, वार्ड नम्बर 1, खण्डवा 0733–2243134	श्रीमती पुष्पा कनौजिया	9893756621
2	बड़वानी	शासकीय माध्यमिक विधालय परिसर रणजी चौक	श्रीमती भारती	9685153139
3	झाबुआ	शासकीय जिला चिकित्सालय ट्रमा सेन्टर के सामने, वार्ड न. 16	श्रीमती लीला परमार	9424061970
4	उमरिया	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालय, कालरी स्कूल केम्पस, उमरिया	गायत्री तिरपाठी	9406723342
5	मुरैना	एम 625, न्यु हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,	सुश्री सरिता चतुर्वेदी	9425758421
6	देवास	एन.आर.सी. के पास, महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय परिसर, देवास दूरभाष– 07272 250126	श्रीमती गीता ठाकुर	9826511732
7	पन्ना	खेरून्निसा का मकान, वार्ड 11, बादशाह साई मस्जिद के सामने, सिविल लाइन रोड– पन्ना–488001	श्रीमती मंजु जैन	9993339960
8	मंदसौर	137, रामटेकरी, सुदामा नगर, मंदसौर	श्रीमती धापु गौंड	9907006819
9	सीहोर	इगिलिशपुरा, मोनालिसा स्कुल के सामने, वंदना ऑफसेट के उपर, वाडै नम्बर 8, पिन कोड–466001	अर्चना वाजपेयी	8962530337

10	हरदा	बाल गृह भवन, बायपास चौराहा, इन्दौर रोड, हरदा	सुश्री उमा शर्मा	9926391109
11	सिंगरौली	CMHO ऑफिस के पास, ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर, एन.सी.एल. ग्राउड, जिला पंचायत के पीछे, बैढ़न जिला सिंगरौली पिन–486886	श्रीमती सरस्वती तिवारी	9893202146
12	सतना	कन्या धवारी स्कूल के पास, जिला सतना–9424762973	श्रीमती मिथिला रिछारिया	9479480161
13	सीधी	कलेक्टर परिसर के सामने, सीधी 486661	श्रीमती रतन सिंह	9425883599
14	उज्जैन	माधव नगर हास्पिटल, फ्री गंज, उज्जैन फोन 0734–2530517	श्रीमती अभा शर्मा	9752126007
15	रीवा	म.नं. 12/652, बजरंग नगर, रीवा	श्रीमती मालती	9993535264
16	टीकमगढ	द्वितीय तल, Nutitional rehabilitation centre, राजेन्द्र हॉस्पीटल, झांसी रोड, टीकमगढ़	शशिकरण यादव	9981888108
17	विदिशा	थाना कोतवाली परिसर जिला विदिशा	सुश्री पिंकी जिवनानी–DSP	9406761122
18	अनूपपुर	जिला चिकित्सालय के वार्ड नम्बर 09 में स्थित प्रसुति वार्ड के द्वितीय तल में कक्ष कं 23–25, अनुपपुर पिन कोड 484224	Jyoti Sharma	8959254772
19	दतिया	जिला चिकित्सालय परिसर, महिला वार्ड–द्वितीय तल, जिला दतिया–475661	श्रीमती सलमा कुरैशी	9644373131
20	कटनी	जिला चिकित्सालय परिसर, भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा कटनी, के पास, राय कालोनी, जिला कटनी	सुश्री भारती द्विवेदी	9425152245
21	श्योपुर	जिला चिकित्सालय परिसर, प्रथम तल, शिवपुरी रोड, श्योपुर	ममता व्यास	9977641311
22	गुना	जिला चिकित्सालय परिसर, गुना	श्रीमती उमा शर्मा	8720869727
23	दमोह	जिला चिकित्सालय, दमोह	पुना यादव	9893409497
24	राजगढ़	जिला अस्पताल परिसर, ओ.पी.डी के सामने, जिला राजगढ़ पिन–465661	श्रीमती पुर्णिमा	8085041298
25	जबलपुर	भू सर्वेक्षण आफिस के पास, संजीवनी नगर जबलपुर	श्रीमती अनुराधा दीवान	9407843557

26	रतलाम	I.P.C. 6, बिरियाखेडी (पुराना टेनिंग सेंटर) शासकीय जवाहर हाई स्कुल के पीछे, योगी विहार, बिरियाखेडी	श्रीमती शकुन्तला मिश्रा	9826511732
27	भिण्ड	परेड चौराहा, धनवंतरी कॉम्लेक्स के ़द्वितीय मंजिल, जिला भिण्ड	निशा शंकरवार	7970207419
28	अलीराजपुर	पुराना महिला सशक्तिकरण कार्यालय उमराली रोड, एस.पी. ऑफिस के पास	श्रीमती खोडे	9630972150
29	बैतूल	पुराना जिला पंचायत भवन, बस स्टैंड़ के पास, कोठी बाजार, बैतुल पिन 460001	श्रीमती रमा बाई गुबरेल	9752561768
30	छतरपुर	श्री विनोद खरे का मकान, पन्ना रोड, स्टेडियम के सामने, डॉ आभा खरे हॉस्पिटल के पास, जिला छतरपुर वार्ड नम्बर 34 पिन कोड 471001	श्रीमती ममता वैघ	9893060671
31	खरगौन	श्रीमती सरोज पति डॉ सुरेचन्द्र जोशी, खरगोन–451001	सुश्री मीना कानुपरी	9893156652
32	होशंगाबाद	रेड क्रास भवन के पास, जिला चिकित्सालय परिसर, होशांगाबाद	श्रीमती मोहिनी राजपूत	98893854552
33	नीमच	रेड क्रास भवन, जिला चिकित्सालय के सामने,	श्रीमती रोशनआरा सैयद	9425368415
34	मण्डला	रेड क्रास भवन, प्रथम तल, सूपुर बाजारश मण्डलाश 481661	श्रीमती ममता कछुवा	9406786735
35	सिवनी	रैन बसेरा भवन, जिला चिकित्सालय परिसर, बारहपत्थर, जिला सिवनी 480661	सुश्री ईशा वाल्मिक	9174097847
36	नरसिंहपुर	सदर मड़िया रोड, अशीष हास्पिटल के पास, हाउसिंग बोर्ड– नरसिंहपुर	श्रीमती पुष्पा मदकोरिया	9340929496
37	रायसेन	वार्ड 4, कलेक्टोरेट आफिॅस के पास, सांची रोड, रायसेन	सुनिता शर्मा	7974338949
38	डिण्डौरी	वार्ड नम्बर 2, मेराइन वे इमलिकुटी के पास, सुबखार जिला डिण्डौरी	sudama maravi	7697337183
39	शहडोल	वार्ड नम्बर–14, बाणगंगा बायपास रोड, बालिका सम्प्रेक्षण गृह के आगे, सैंगर डेरी के पास, शहडोल	श्रीमती सरोज	9424775129
40	धार	वार्ड नम्बर–6, ट्रमा सेन्टर के सामने, भोज अस्पताल, धार	श्रीमती सरोज सिंह ठाकुर	9425914207
41	इन्दौर	वन स्टाप सेन्टर के.ई.ए. कम्पाउण्ड, नरसिंह स्कूल के सामने, इन्दौर	सुश्री इन्दू पाण्डे	9827442433
42	भोपाल	वन स्टॉप सेन्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, जे.पी.हास्पिटल परिसर	श्रीमती कीर्ति सिंह	9425028930

43	ग्वालियर	जे.ए.एच. केम्पस, टी.वी. वार्ड के सामने कम्पू, ग्वालियर दुरभाष क्रं 0751–2372961	श्रीमती उर्मिला यादव	8827493227
44	बुरहानपुर	नया जिला चिकित्सालय परिसर, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर	सुश्री रेखा भोण्डवे	9926460664
45	अशोकनगर	नवीन कलेक्ट्रट के सामने, ऊँ कालोनी	श्रीमती सुशीला मिंज	9425016659
46	बालाघाट	आई.टी.आई रोड, रेलवे क्रासिंग के आगे, जानकी बाई धुवारे द्वार के अंदर, बूढ़ी वार्ड नं 1, बालाघाट	श्रीमती कल्पना जैन	9407824924
47	सागर	आर्ट एवं कामर्श कालेज के सामने तिल्ली रोड सागर	श्रीमती राजेश्वरी श्रीवास्तव	9753066383
48	शिवपुरी	आगंनवाड़ी ट्रेनिंग सेन्टर, न्यू ब्लाक, हंस भवन के पास, शिवपुरी	सुश्री अंशु तिवारी	9039062234
49	शाजापुर	गैस गोडाउन रोड, वार्ड नम्बर 3, शाजापुर	श्रीमती नीलम चौहान	9981988162
50	छिन्दवाड़ा	लालबाग, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना छिंदवाड़ा ग्रामीण के प्रथम तल पर, पी.जी. कॉलेज रोड, जिला छिन्दवाड़ा, म.प्र. 480002	श्रीमती स्नेहलता ठाकुर	8989624763
51	आगर मालवा	जिला चिकित्सालय परिसर,	श्रीमती भावना बडोदिया	8878623878

विंदु क्रमांक–13

अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओ का विवरण

– –

विंदु क्रमांक–14

इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाये

- विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी ई रिपोजेटरी www.esanchayika.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

विंदु क्रमांक–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां– विभाग की विस्तृत जानकारी, आमजन (नागरिकों) हेतु विभाग की निम्न बेबसाईट पर उपलब्ध है–

http://www.mpwcd.nic.in,
http://www.mpwcdmis.gov.in
http://www.esanchayika.mp.gov.in

विंदु क्रमांक–16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम –संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, म0प्र0

लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री रवीन्द्र सिंह रधुवंशी	संयुक्त संचालक	0755	2550928	9425392553	255–0912	commwcd@.nic.in	संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव	उप संचालक	0755	–	9893900890	255–0912	commwcd@.nic.in	संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

विभागीय अपीलेट अथोरिटी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीमती राजपाल कौर	अपर संचालक	0755	255–0940	9425442601	255–0912	commwcd@.nic.in	संचालनालय, महिला एवं बाल विकास 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु लोक सूचना अधिकारी की व्यवस्था

म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ज्ञाप कं–1(ए)32/2014/50–1 भोपाल दिनांक 16.09.2014 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कियान्वयन किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है :–

कं	कार्यालय का स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	पृथम अपीलीय अधिकारी
1	संभाग स्तर	संभागीय संयुक्त संचालक	सहायक संचालक, संभागीय कार्यालय	संभागीय आयुक्त/अपर आयुक्त (राजस्व)
2	जिला स्तर	जिला कार्यकम अधिकारी	सहायक संचालक, जिला कार्यालय	जिला कलेक्टर
3	जिला स्तर (ऑगनवाडी प्रशिक्षण केंद्र)	मुख्य निर्देशिका प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय सहायक (लिपिक)	जिला कार्यकम अधिकारी
4	विकास खण्ड/परियोजना स्तर	परियोजना अधिकारी	सांख्यिकीय अन्वेषक/कार्यालय सहायक (लिपिक)	जिला कार्यकम अधिकारी

बिंदु कमांक–17

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

1. सूचनाओं को जनता तक पहुॅचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:–

1. नाटक/नुक्कड़ नाटक एवं कलापथक दलो के माध्यम से।
2. समाचार पत्रों में समय–समय पर विज्ञापनों/विज्ञप्तियों का प्रकाशन।
3. विश्व स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, अंतराष्ट्रीय महिला दिवस आदि के अवसरों पर जागरुकता गतिविधियों एवं कार्यकमों का आयोजन।
4. सूचना पटल से
5. विभागीय ई रिपोजेटरी www.esanchayika.mp.gov.in एवं अन्य विभागीय वेबसाईट के माध्यम सें।
6. सोशल मीडिया से व अन्य प्रचार प्रसार साधनों से विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी जाती हैं।

भारत शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया है। जिसे 16 जून 2005 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरांत कानूनी दर्जा दिया गया है।

उक्त संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन नीतिगत निर्णय के अनुसार शासन के द्वारा किये जा रहे सभी कार्यो तथा निर्णयों में पारदर्शिता लाई जाने एवं आम व्यक्ति को इस पारदर्शिता के संबंध में निर्णयों के आधारों की जानकारी देने के उद्देश्य से अब महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इस परिपत्र में उल्लेखित निम्नलिखित विषयों से संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपियां एवं संबंधित अभिलेखों का अवलोकन, आवेदक के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् किया जा सकेगा। इसके लिये निर्धारित आवेदन/शुल्क जमा करने के पश्चात् अधिकतम तीस दिनों की समय–सीमा निर्धारित की जाती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे निवासरत हितग्राहियों के द्वारा सूचना चाही जाने पर उन्हे तद्नुसार प्रमाण प्रस्तुत करने पर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित उप समिति के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी होगीः–

आवेदक को सूचना प्प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र–1 में वांछित जानकारी दिया जाना होगा। आवेदन देने पर उसे पावती प्राप्त होगी।

आवेदक को उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा यदि वह जानकारी डाक से प्राप्त करना चाहता है तो उसे रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित लिफाफा स्वयं का पता लिखा हुआ संलग्न करना होगा।

आवेदन पत्र विभाग/कार्यालय से संबंधित न होने की दशा में आवेदन पत्र को संबंधित विभाग/कार्यालय को अंतरित करते हुये आवेदक को सूचित करेगा। ऐसे अंतरित किये गये आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु समय सीमा उस दिनांक से प्रारंभ होगी जिस दिनांक को आवेदन पत्र संबंधित विभाग/कार्यालय को प्राप्त होगा। आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के उपरांत विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही हेतु तैयार निर्धारित समय सारणी अनुसार की जावेगी । आवेदन प्राप्ति की जानकारी निर्धारित पंजी में दर्ज की जावेगी। निराकरण होने पर अन्य पंजी में दर्ज की जायेगी कि सूचना प्रदाय की जा चुकी है या निराकृत हो चुका है।

आवेदक को आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित लिखित में देना होगा। मौखिक आवेदन को लिखित में बदलने में राज्य लोक सूचना अधिकारी मदद करेगा। सूचना क्यो चाहिये इसका कारण देना आवश्यक नही है।

समाप्त